

05/1/23 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/1/23 दिनांक 22/1/2023
को पेश हो amlr

22/3/2023 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/3/23 दिनांक 02/7/2023
को पेश हो amlr

03/10/2023 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/10/23 दिनांक 14/12/2023
को पेश हो amlr
[Official stamp and signature area]

12/12/2023 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/12/23 दिनांक 02/1/2024
को पेश हो amlr

02/4/2024 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/4/24 दिनांक 12/4/2024
को पेश हो amlr

2.4.2024 बार संघ का कार्य स्थगित होने पर पत्रावली
दिनांक 1.4.2024 को पेश हो। amlr

4.6.2024 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/6/24 दिनांक 5.6.2024
को पेश हो amlr

05.8.2024 कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
मे प्रयास है। पत्रावली अजय कर्मा
गस्त 12/8/24 दिनांक 29.8.2024
को पेश हो amlr

29-8-2024 - कुलाए फरीकन उपस्थित/PU माहः अजय कर्मा
वस्तुसुची गरी। पत्रावली का उपलोकन किया गया।
पत्रावली पर उपबन्ध लिंकडि व गरी प्रारी वरी की
आपकी सहमति से आचार पर नद गरी डिफ्टी किया
जाता है। धुवी विकरण सहित निष्पि अल्लव को
लि जाया जाकर दाखिल कार्वल किया जाये।
पत्रावली नरूप से कम किया की जाकर आउ वरगी
व करील जाया दाखिल यथतर हो।

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 182/2022 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

1. बट्टी प्रसाद पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर।
2. रोशन लाल पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर।

-वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर।
2. निर्मला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीगण
श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 29-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी संख्या 1 बट्टी प्रसाद को तहसील रावतसर की रोही मौजा खेदासरी बाराणी के खाता संख्या 29/7 के खसरा नम्बर 508/363 की 1.6190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510/8 की 5.6920 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513/396 की 0.6180 हैक्टेयर कुल 7.9290 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि,
2. वादी संख्या 2 रोशनलाल को तहसील रावतसर की रोही मौजा खेदासरी बाराणी के खाता संख्या 29/7 के खसरा नम्बर 508/363 की 1.6190 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510/8 की 5.6920 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513/396 की 0.6180 हैक्टेयर कुल 7.9290 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम चक नम्बर 2 के.डी.एम. के खाता संख्या 33/26 के पत्थर नम्बर 9/51(125) के पत्थर नम्बर 23, 24, 25 की 0.7590 हैक्टेयर अनकमाण्ड, चक नम्बर 2 के.डी.एम. के खाता संख्या 14/97 के पत्थर नम्बर 9/52(153) के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व पत्थर नम्बर 9/59(126) के किला नम्बर 16, 21/2, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 9/60(152) के किला नम्बर 1 ता 25 व पत्थर नम्बर 29/3(127) के किला नम्बर 1/1, 1/2, 10, 11, 20 की 12.6510 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड खाला में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि यथावत रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे। आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29-08-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

